



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, ri-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)


क्रमांक : F-4(74)/रालसा/डीएसएडीआर/विविध/कार्यालय आदेश/2017/581 दिनांक: 13.11.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017 एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ(3)रालसा/डीएस-द्वितीय/311 दिनांक 27.06.2017 के क्रम में यह आदेशित किया जाता है कि यदि पैनल अधिवक्ता (न्यायालय के समक्ष पैरवी के अतिरिक्त) एवं पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की सेवाएँ मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत या विशेष लोक अदालत, विधिक जागरूकता कार्यक्रम अथवा विभिन्न प्रकार के निरीक्षण यथा सम्प्रेषण गृह, जेल, अनाथालय, शिशु गृह एवं नारी निकेतन आदि में या किसी अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के कार्यक्रमों में ली जाती हैं, तो उन्हें निम्न प्रकार से मानदेय दिया जावेगा—

1. पैनल अधिवक्ता 1000 रूपए प्रतिदिन, किन्तु अधिकतम 10,000 रूपए प्रतिमाह।
2. पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स 500 रूपए प्रतिदिन, किन्तु अधिकतम 7,000 रूपए प्रतिमाह।


यह आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा और यह मानदेय धारा 4सी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत आवंटित निधि में से दिया जावेगा।


(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांक : F-4(74)/रालसा/डीएसएडीआर/विविध/कार्यालय आदेश/2017/28368 दिनांक: 13.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है—

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/एक्शन प्लान एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. उप सचिव, प्रशासन (गैर न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कार्यालय हाजा।
6. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस आदेश की प्रति कार्यरत पैनल अधिवक्ता/पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को सूचनार्थ उपलब्ध करावें।
7. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।


(अनुतोष गुप्ता) 13/11/17
उप सचिव
एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर